

कार्यालय कुलसचिव,  
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर  
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) – 474002

क्र./कु.स./2019/1351


दिनांक: 30.05.19

विज्ञप्ति

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की डिस्पेंसरी में एक पुरुष एवं महिला अंशकालिक चिकित्सक (योग्यता के समक्ष दर्शाये गये मानदेय के आधार पर) रखा जाना है।

योग्यता	मानदेय रूपये प्रतिमाह
एम.डी/एम.एस	20000 / -
एम.बी.बी.एस.+ पी.जी. डिप्लोमा	15000 / -
एम.बी.बी.एस	12000 / -


इच्छुक चिकित्सक अपना आवेदन दिनांक 30/06/2019 तक कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम से स्पीड पोस्ट के द्वारा कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्तें एवं जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.rvskvv.net](http://www.rvskvv.net) पर देखें।

  
कुलसचिव


रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

## नियम व शर्तें

1. विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के स्टॉफ एवं छात्रों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सकों की अंशकालीन सेवार्यें अनुबंध आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिये पूर्णतः अस्थाई रूप से ली जावेगी।
2. चिकित्सकों को अस्थाई अधिकारी के समान शासन द्वारा घोषित सामान्य अवकाश की पात्रता होगी।
3. म.प्र. सिविल सेवा (आचरण नियम-1965) लागू होंगे।
4. डिस्पेंसरी का समय प्रतिदिन सांय 04:00 से 07:00 बजे तक नियत रहेगा।
5. आपातकाल की स्थिति में बुलाये जाने पर मरीज को चिकित्सक परामर्श हेतु सेवार्यें उपलब्ध कराना होगी।
6. प्रतिदिन किये गये कार्य कर विस्तृत विवरण माह के अंत में नियंत्रणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध करावेगे।
7. चिकित्सा हेतु दवार्यें सामाग्री एवं उपकरण का लिखित में मांग पत्र नियंत्रणकर्ता अधिकारी को देनी होगी।
8. अनुबंध आधार के दौरान दोनो पक्षो द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का निर्धारित मानदेय दिया जाकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
9. अनुबंध आधार की समाप्ति के पश्चात् दोनो पक्षों की सहमति से अनुबंध, इन्हीं शर्तों के आधार पर एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। जिसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष या समय-समय पर शासन द्वारा घोषित आयु।
10. आवेदन में अपनी उपाधि एवं अनुभव प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
11. अनुबंध की अवधि की समाप्ति पर अनुबंध अवधि स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी तथा पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
12. अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सक को एक निश्चित मासिक मानदेय ही प्राप्त होगा।
13. विश्वविद्यालय की ओर से आवासी, वाहन आदि की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।
14. आकस्मिक चिकित्सा के दौरान किसी मरीज के साथ बाहर (जिले के बाहर) जाना पड़ता है तो उन्हें राजपत्रित वर्ग-2 के समान यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।
15. निश्चित मासिक मानदेय उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
16. अनुबंध पर चिकित्सक के पद पर कार्यरत अनुबंध अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन/उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
17. अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सक को निश्चित मासिक वेतन से कम से कम 10% राशि जीवन बीमा पेंशन अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी (परन्तु यह प्रावधान सेवा निवृत्त शासकीय सेवको पर लागू नहीं होगा)।



## CURRICULAM VITAE



Name:

Father's/ Husband Name:

Qualification:

Specialization:

Experience:

Registration No:

Date of Birth:

Nationality:

Marital status:

Sex:

Language known:

Address for correspondence:

Permanent Address:

Email:

Mobile No:

Landline No:

---

### Declaration

I hereby declare that above furnished details are correct to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

Signature

(Name.....)